



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 436 राँची, गुरुवार,

10 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

31 जुलाई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-85/2017-8230 (HRMS)-- श्रीमती अलका कुमारी, झा0प्र0से0, (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3251 दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने का आरोप लगाया गया है। श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत शत-प्रतिशत लाभुकों का एफ0टी0ओ0 साईन करने के विभागीय निदेश के बावजूद 302 लाभुकों का एफ0टी0ओ0 साईन हेतु लम्बित रखने; उक्त योजना अंतर्गत शत-प्रतिशत आवासों के जियो टैगिंग के विरुद्ध मात्र 853 आवासों का जियो टैगिंग किये जाने; मनरेगा अंतर्गत न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत के सृजन के विरुद्ध मात्र 31 मानव दिवस का सृजन करने; मात्र 64% मजदूरों का मजदूरी भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किये जाने; कुल 780 डोभा निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 126 योजनाओं पर ही क्रियान्वयन प्रारंभ करने; मात्र 49% जॉब कार्ड का सत्यापन; वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं उससे पूर्व की सभी लम्बित योजनाओं को पूर्ण कर एम0आई0एस0 में close करने के विभागीय निदेश

का उल्लंघन करने एवं मनरेगा अंतर्गत कुल भुगतान राशि का 24% विलम्बित भुगतान के मामले तथा मनरेगा अंतर्गत मात्र 9% परिसम्पत्तियों का ही जियो टैगिंग कराने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8341, दिनांक 24.07.2017 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्रीमती कुमारी के पत्रांक-52, दिनांक 18.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती कुमारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रखण्ड नाजीर का तबादला हो जाने के कारण नये नाजीर का पदस्थापन के पश्चात् विलम्ब से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त होने के कारण एफ0टी0ओ0 साईन में विलम्ब होने; बड़कागांव प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत कुल 995 लक्ष्य के विरुद्ध 638 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण होने; एन0टी0पी0सी0 एवं सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र होने के कारण मानव दिवस सृजन के लक्ष्य में कमी; 11974 सक्रिय मजदूरों के विरुद्ध 10655 मजदूरों का डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान; लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत डोभा निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाते हुए 507 डोभा का निर्माण कार्य पूर्ण होने; 98% जॉब कार्ड का सत्यापन पूर्ण करने; वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं इससे पूर्व की सभी लम्बित योजनाओं को एम0आई0एस0 में close किये जाने; मनरेगा अंतर्गत मजदूरों के विलम्बित भुगतान में मुखिया एवं पंचायत सेवक के दोषी होने एवं मनरेगा अंतर्गत सृजित सभी परिसम्पत्तियों का जियो टैगिंग करने का तथ्य अंकित किया गया है।

श्रीमती कुमारी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2913 दिनांक 04.05.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1604, दिनांक 03.06.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा अपने मंतव्य निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

“श्रीमती कुमारी द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में कहना है कि मनरेगा योजना अन्तर्गत Geo Tagged Parameter को छोड़कर अन्य सभी Parameters में प्रगति परिलक्षित होती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में भी निर्धारित समयावधि के कुछ दिनों के अंतराल पर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है। आरोपों के संबंध में सरकारी राशि के गबन एवं दुर्विनियोग से संबंधित नहीं है।

श्रीमती कुमारी के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पया गया कि-

(i) मनरेगा अंतर्गत प्रखंड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 31 मानव दिवस के सृजन के संबंध में श्रीमती कुमारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। आरोपों के गठन के पश्चात् भी प्रखंड बड़कागांव में प्रतिदिन मात्र 37 मानव दिवस का सृजन से स्पष्ट है कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है।

(ii) मनरेगा अंतर्गत लम्बित योजनाओं को पूर्ण कर एम0आई0एस0 में close करने के संबंध में श्रीमती कुमारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं इसके पूर्व की लम्बित योजनाओं की विवरणी के अनुसार दिनांक 26.11.2018 को 344 योजनायें लंबित थी।

(iii) जियो मनरेगा के तहत सृजित परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग का प्रतिशत दिनांक 26.11.2018 को मात्र 57% है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती अलका कुमारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़कागांव, हजारीबाग द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ALKA KUMARI 20060400006	श्रीमती अलका कुमारी, झा0प्र0से0, (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
